कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ 16(Mining)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / 6415-16 दिनांक 16-06-23

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (खान)
   सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास,
   नोडल अधिकारी वन मामलात,
   खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
   खनिज भवन, उदयपुर।

विषयः–Diversion of 189.2515 ha. of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan . (Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक एफ. ( )2021–22 / एफसीए / मुवसभ / 2643 दिनांक 14.06.2023

महोदय,

1. उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8–14 / 2021–एफसी दिनांक 19.05.2023 के क्रम में प्रेषित सूचना में व्याप्त कमियों के संबंध में चर्चा हेतु दिनांक 16.06.2023 को अरण्य भवन जयपुर में आयोजित बैठक में उपस्थित मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर, उप वन संरक्षक, भरतपुर, उप वन संरक्षक (एफसीए), खनिज अभियंता, भरतपुर के साथ विचार–विमर्श उपरांत लिये गये निर्णय निम्न प्रकार हैः–

1. बिन्दू 1 के क्रम में 44 हैक्टर वन क्षेत्र हेतु माननीय न्यायालय में विचाराधीन केस की अद्यतन विस्तृत जानकारी मय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
2. उपर्युक्तानुसार 44 हैक्टर वन क्षेत्र को भविष्य में किस प्रकार प्रयोग में लाया जाना है। इसकी सूचना / तथ्यात्मक रिपोर्ट, यूजर एजेन्सी द्वारा किया जाना है।
3. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की टिप्पणी उपयुक्त है।
4. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दो भागों में बताया है जबकि पार्ट–I में इन्हें चार भागों में दर्शाया गया है।मुख्य वन संरक्षक तदनुसार अपनी टिप्पणी प्रस्तावित है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यो जैसे खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है।
6. उप वन संरक्षक, भतरपुर द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।

......P.T.O.

Scanned with CamScanner

7. प्रस्ताव में प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है। पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टें में सेफ्टी जोन को अलग–अलग रंग में मार्क कर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करावें एवं नवीन नक्शा अपलोड़ प्रस्तुत करावें।
8. परियोजना में Site Specific and Non-Site Specific activities को पृथक–पृथक दिखाया जावें एवं तदनुसार माईनिंग प्लान भी संशोधित करावें।
9. माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हैक्टर वन क्षेत्र को not to be utilized किस योजना अनुसार किया जाना है। प्रोगेसिव माइनिंग प्लान दिया जावें।
10. 30 हैक्टर वन क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रखा गया है तदनुसार के.एम.एल. फाईल प्रस्तुत की जानी है।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत प्रस्ताव में कुछ स्थानों पर जैसे LOI, CA योजना Part- II, III में अभिशंषा में पुराने प्रस्तावित वन क्षेत्र 248.5515 हैक्टर का उल्लेख है। अतः नवीन प्रस्तावित क्षेत्र 189.2515 हैक्टर हेतु सही दस्तावेज अपलोड करावें।

उपयुक्तानुसार निर्णय उपरांत मीटिंग सधन्यवाद समाप्त हुई।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 16(Mining)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / 6417-18 दिनांक 11-01-23
प्रतिलिपि निम्नांकित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
2. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास, भरतपुर।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner